विद्यालयों में अध्यापन हेतु समय सारणी

प्रेषक,

सचिव,
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद,
इलाहाबाद।

सेवा में,

1– प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
उत्तर प्रदेश।
2– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश।
3– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक बे0शि0प0 / 14012-183 /2013–14 दिनांक 13-1-14

विषय :– परिषदीय विद्यालयों में अध्यापन हेतु समय सारिणी निर्माण एवं उसके अनुसार अध्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या– 3014/79–5–2013 दिनांक 06.08.2013 तथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में समय सारिणी के सम्बन्ध में उल्लिखित प्राविधान के क्रम में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित समस्त परिषदीय विद्यालयों में निम्नवत व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये है–

1– समस्त परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में कक्षा 1–5 के शिक्षण हेतु न्यूनतम 200 कार्यदिवस एवं कक्षा 6–8 के शिक्षण हेतु न्यूनतम 220 कार्यदिवस प्रति शैक्षिक सत्र निर्धारित किये गये हैं।

2– समय सारिणी का निर्माण करते समय प्रत्येक शैक्षिक सत्र में कक्षा 1–5 हेतु 800 शैक्षिक घंटे एवं कक्षा 6–8 हेतु 1000 शैक्षिक घंटे का निर्धारण आवश्यक है।

अतएव आर0टी0ई0 2009 के परिप्रेक्ष्य में विद्यालय स्तर पर समय सारिणी तैयार कर शिक्षण कार्य कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये जिससे समस्त छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य की सम्प्राप्ति सम्भव हो सके।

भवदीय

(संजय सिन्हा)
सचिव,
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद,
इलाहाबाद।

पृ0सं0/बे0शि0प0/14012-183 /2013–14 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक राज्य परियोजना कार्यालय उ0प्र0 लखनऊ के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2– शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 निशातगंज लखनऊ को सूचनार्थ।
3– निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ।

(संजय सिन्हा)
सचिव,
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद,
इलाहाबाद।

पढ़ाई के घण्टे का निर्धारण

टिप्पणी

1– प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु कक्षा 1 से 5 तथा कक्षा 6 से 8 में पढ़ाई के घंटे निम्नवत निर्धारित है –

कक्षाए	ग्रीष्म ऋतु – 1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक	1 अक्टूबर से 31 मार्च तक (जाड़े) के दिनों में
1 से 5 एवं 6 से 8 तक	7 बजे से 12 बजे तक मध्यावकाश/एम0डी0एम0 (9.30 से 10.00 तक)	10 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक मध्यावकाश एम0डी0एम0 (1 बजे से 1.30 तक)

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तथा कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाए 01 अप्रैल से 30 सितम्बर तक 7.00 बजे से 12.00 बजे तक तथा मध्यावकाश 9.30 से प्रारम्भ होकर 10.00 बजे समाप्त होगा एवं 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 10.00बजे 4.00 बजे तक एवं मध्यावकाश 1.00 बजे से 1.30 समाप्त होगा।

2– उपर्युक्त अवकाश के अतिरिक्त दो दिन का अवकाश स्थानीय रूप से जिलाधिकारी द्वारा अनुमन्य किया जायेगा। किसी भी दशा में स्थानीय मेलों आदि हेतु अलग से अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। जिलाधिकारी के अतिरिक्त कोई भी अधिकारी /स्थानीय अधिकारी अवकाश स्वीकृत करने के लिये अधिकृत नहीं होगे। यह अवकाश दो दिन से अधिक किसी स्थिति में नहीं बढ़ाया जायेगा।

3– उपर्युक्त वर्णित अवकाश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ही अनुमन्य होगे।

4– मुस्लिम त्यौहार चन्द दर्शन के अनुसार 1 दिन आगे व पीछे हो सकते है।

5– हरि तालिका तीज ,करवा चौथ, संकटा चतुर्थी का अवकाश केवल अध्यापिकाओं/बालिकाओं के लिये होगा।

6– ग्रीष्मावकाश 1 जून से प्रारम्भ होकर 30 जून तक होगा।

7– शीतावकाश 26 दिसम्बर से 10 जनवरी तक होगा।

8– समस्त राष्ट्रीय पर्वों जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतन्त्रता दिवस, गांधी जयन्ती को शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा, शिक्षक एवं छात्र विद्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रतिभाग करेगे।

9–प्रायः जनपदों से यह शिकायतें प्राप्त हो रही है कि मण्डलीय/जनपदीय रैलियों/समारोह के बाद विद्यालय बन्द कर दिया जाता है , जो कि अनियमित है। ऐसी दशा में सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

कतिपय जनपदों मे विशेष कार्यक्रमों के कारण विद्यालयों में समय परिवर्तन करने की शिकायतें प्राप्त हो रही है। विद्यालय में पूरे समय पढाई हो इसके लिये यह आवश्यक है कि विद्यालयों में समय सारिणी का निश्चित रूप से पालन किया जाय।

विद्यालय समय सारिणी के अनुसार संचालित किये जाय। अपरिहार्य परिस्थितियों में जिलाधिकारी द्वारा घोषित अवकाश देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी अधिकारी को विद्यालय के समय परिवर्तन अथवा अवकाश घोषित करने का अधिकार नही होगा।

उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथापि किसी जनपद से उक्त शिकायतें प्राप्त होती है। तो सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

(संजय सिन्हा)
सचिव,
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद
इलाहाबाद।

शैक्षिक गुणवत्ता

संख्याः 3014 /79-5-2013

प्रेषक,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उ0प्र0 ।
2 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उ0प्र0।
3. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

शिक्षा अनुभाग–5

लखनऊः दिनाँकः 06 अगस्त, 2013

विषयः– प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता उन्नयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009" के अन्तर्गत हमारा दायित्व न केवल बच्चों की शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं का पूर्णतम् विकास सुनिश्चित करना है, वरन् भय, तनाव, चिन्तामुक्त ऐसा विद्यालयीय वातावरण भी उपलब्ध कराना है, जहाँ बाल केन्द्रित और बाल अनुकूल क्रिया कलापों के माध्यम से पठन–पाठन की व्यवस्था हो।

2– उक्त अपेक्षाओं के क्रम में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता उन्नयन हेतु निम्नांकित कार्यवाही की जाए :–

(1) विद्यालय भवन व परिसर स्वस्थप्रद, हवादार, स्वच्छ, रंगा–पुता, सुसज्जित व पेयजलयुक्त हो तथा उसमें उपलब्ध सभी कक्षा–कक्षों का शिक्षण हेतु तथा पेयजल एवं शौचालय का इस्तेमाल किया जाय। ऐसे भवन में, जो असुरक्षित हैं और जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं, उसमें विद्यार्थियों को कदापि न बैठाया जाय।

(2) प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक का दायित्व है कि :–

- विद्यालय अनिवार्यतः प्रातः कालीन दैनिक सभा से प्रारम्भ हो। दैनिक सभा के दौरान सभा स्थल पर ही छात्रों में नैतिक मूल्यों के विकास हेतु समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे–दहेज प्रथा, मद्यपान, धूम्रपान, जाति प्रथा, लिंग भेद, भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता आदि दूर करने हेतु बच्चों को शिक्षकों द्वारा विस्तृत जानकारी दी जाये तथा देश भक्ति एवं अच्छे संस्कार यथा शिष्टाचार, सभ्य आचरण की प्रवृत्ति विकसित करने हेतु अमर शहीदों, वीर पुरूषों, देशभक्तों एवं सदाचार जैसे विषयों पर प्रतिदिन बच्चों से व्याख्यान दिलाया जाय।
- प्रत्येक विद्यालय में पहला घण्टा अनिवार्य रूप से भाषा–शिक्षण के अन्तर्गत श्रवण (Listening), वाचन (Speaking), पठन (Reading), एवं लेखन (Writing) दक्षताओं के विकास को ध्यान में रखकर संचालित किया जाये। इसके लिए सुलेख, श्रुतलेख, एकल वाचन, समूह वाचन कराया जाये तथा बच्चों का हस्तलेख (Handwriting), वर्तनी एवं शब्द ज्ञान एवं अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने पर भी ध्यान दिया जाय।
- प्रत्येक विद्यालय में द्वितीय घण्टा अनिवार्य रूप से गणित–शिक्षण के अन्तर्गत गिनती एवं पहाड़ा के अभ्यास कार्य के लिए निर्धारित हो। इसके अन्तर्गत बच्चों में मानसिक गणित (Mental Mathmatics) के कौशल को विकसित करने पर ध्यान दिया जाय।

- प्राथमिक कक्षाओं में भाषा एवं गणित की कार्यपुस्तिकाओं पर पहले और दूसरे घण्टे में अभ्यास कार्य भी सुनिश्चित कराया जाय।
- कक्षा 3–8 तक के बच्चों में पर्यावरणीय अध्ययन एवं सामाजिक अध्ययन के विविध विषयों की समझ विकसित करने के लिए शैक्षिक सत्र में 02 बार परियोजना कार्य (Project Work) कराया जाय।
- प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक कक्षा के लिए पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिए मासिक समय चक्र विभाजन किया जायेगा तथा प्रत्येक तीन महीने पर प्रत्येक बच्चे की प्रगति का आँकलन किया जाय।

(3) विद्यालय के सेवित क्षेत्र में 06 से 14 वय वर्ग के सभी बालक/बालिका नामांकित किया जायेगा तथा नामांकन के अनुरूप बच्चों की उपस्थिति शत–प्रतिशत सुनिश्चित की जायेगी। उपस्थिति पंजी में प्रतिदिन समस्त विद्यार्थियों की उपस्थिति को नीली स्याही से "उ" तथा अनुपस्थिति को लाल स्याही से "अनु" से चिह्नित किया जाये। यदि अनुपस्थित विद्यार्थी ने चिकित्सकीय प्रमाण पत्र भेजा हो अथवा प्रधान अध्यापक से अवकाश प्राप्त किया हो तो "अनु" के पश्चात "अस्वस्थ" अथवा "अवकाश" जोड़ा जाय। प्रविष्टियाँ स्याही से की जाये न कि पेंसिल से। कोई उद्घर्षण (Erasure) नहीं होना चाहिये, यदि कोई त्रुटि कर दी गयी हो तो उसे काटा जाये तथा लाल स्याही से शुद्ध प्रविष्टि करके सूक्ष्म हस्ताक्षर किया जाय। यदि कोई विद्यार्थी किसी मीटिंग की अवधि में विद्यालय छोड़े तो उसे उस बैठक के लिये अनुपस्थित चिह्नित किया जाये तथा लाल स्याही से उसकी उपस्थिति के चिह्न को रदद करके सूक्ष्म–हस्ताक्षर करें।

(4) विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति शत–प्रतिशत सुनिश्चित की जाए। प्रधान अध्यापक द्वारा उपस्थिति पंजी में प्रतिदिन अध्यापकों की अनुपस्थिति को लाल स्याही से "अनु" से चिह्नित किया जायेगा। यदि अनुपस्थित अध्यापक ने प्रार्थना पत्र भेजा हो अथवा प्रधान अध्यापक से अवकाश प्राप्त किया हो तो नियमानुसार अवकाश अंकित किया जायेगा। अवकाश तभी माना जायेगा जब सक्षम अधिकारी से स्वीकृत होगा। अध्यापकों की डायरी बनी हुई हो तथा पाठयोजना के अनुसार शिक्षण कार्य सुनिश्चित हो, ऐसा न होने पर निरीक्षण कर्ता अधिकारी द्वारा सम्बन्धित अध्यापक का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए।

(5) शिक्षक प्रतिदिन 7.30 घंटे (सप्ताह में 45 घंटे) विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। इस कार्य अवधि में से प्रतिदिन शिक्षण का न्यूनतम समय विश्रान्ति के समय को निकाल कर, जाड़े के दिनों में 5 घण्टे 30 मिनट रहेगा और गर्मियों में जब कि विद्यालय प्रातः काल का होता है, 4 घण्टा 30 मिनट रहेगा तथा शेष समय शिक्षण की तैयारी एवं अन्य शिक्षणेत्तर कार्यों के लिए उपयोग किये जायेगा। पहली बैठक का समय विद्यालय खुलने के समय से लेकर विश्रान्ति (Recess) काल प्रारम्भ होने तक होगा। दूसरी बैठक का समय विश्रान्ति काल के समाप्त होने के समय से लेकर शिक्षण समय के समाप्त होने तक रहेगा।

(6) उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर बनाये गये सिद्धान्तों के अन्तर्गत ही प्रधान अध्यापक विद्यालय के लिये समय सारिणी तैयार करेंगे। जुलाई से आरम्भ होने वाले प्रत्येक सत्र के लिये उसके द्वारा तैयार की गयी समय सारिणी की एक प्रतिलिपि अध्यापकों और छात्रों के पथ–प्रदर्शन के लिये, प्रत्येक कक्षा के कमरे के किसी प्रमुख (Conspicuous) स्थान पर लटका दी जायेगी। विद्यालय निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार ही संचालित किया जाएगा।

(7) पाठ्यक्रम, कक्षावार विषय तथा स्वीकृत पुस्तकों की सूची विद्यालय में किसी प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित की जाये। विद्यालय में परिषद द्वारा विहित पाठ्यपुस्तकों को छोड़कर किसी अन्य पुस्तक, सहायक पुस्तक और कुंजी का प्रयोग वर्जित है।

(8) बच्चों को अपनी बात रखने और अपने साथियों की बातें सुनने के अवसर उपलब्ध कराने के लिये विद्यालय में बच्चों की समितियों– यथा बाल सभा समिति, पुस्तकालय समिति, खेल समिति, प्रार्थना/साफ सफाई समिति, भोजन समिति–का गठन कराया जाये। इनके गठन और क्रिया–कलापों के क्रियान्वयन की शैली का निर्धारण भी बच्चों से कराया जाये व शिक्षक का दायित्व होगा कि इन समितियों की बैठक नियमित रूप से हो रही हो तथा ये क्रियाशील हों।

(9) सभी बच्चों को निश्चित समय पाठ्यपुस्तकें, यूनीफार्म व स्कॉलरशिप उपलब्ध करायी जाये व नियमित रूप से गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाय।

(10) विद्यार्थियों के मनोरंजन, बहिर्द्वार (Out Door) खेल–कूद की सुविधाओं तथा उनके स्वास्थ्य को बनाये रखने और उनमें अनुशासन बनाये रखने के लिए विद्यालय में विविध गतिविधियाँ – खेलकूद, व्यायाम,

योगासन/पी0टी0, श्रमदान, वृक्षारोपण, शैक्षिक भ्रमण, बागवानी आदि करायी जायें तथा राष्ट्रीय पर्वों, सामाजिक पर्वों एवं महापुरूषों की जयन्तियों के आयोजन कराये जांय।

(11). विद्यालय में समृद्ध, व्यवस्थित व सक्रिय पुस्तकालय तथा वाचनालय हो। पुस्तकालय में शब्दरहित चित्र आधारित पुस्तकें, चित्र कथायें, गतिविधि पुस्तकें, कविता पुस्तक, जानकारीपरक पुस्तकें हों। शिक्षक पुस्तकालय में चार्ट आदि लगायें जिसमें यह उल्लेख हो कि पुस्तकों का उपयोग कैसे और कहाँ–कहाँ किया जा सकता है। बच्चों द्वारा सृजित साहित्य को भी अनिवार्य रूप से रीडिंग कॉर्नर, वाचनालय एवं पुस्तकालय में प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जाये। प्रथम घण्टे में पुस्तकालय/वाचनालय की पुस्तकें बच्चों को पढ़ने के लिए उपलब्ध करायी जाय।

(12) बच्चों की साहित्यिक व सांस्कृतिक सृजन क्षमताओं के विकास हेतु विद्यालय में प्रत्येक माह विविध गतिविधियाँ– यथा वाद–विवाद प्रतियोगिता, कविता पाठ, भाषण, निबन्ध लेखन, कहानी लेखन, अन्त्याक्षरी, समूह गान, देशगान, मूक अभिनय, सम सामयिक विषयों पर चर्चा आदि का आयोजन कराया जाये। इसी प्रकार बच्चों से पोस्टर, चार्ट, मॉडल, रंगोली, ग्रीटिंग कार्ड मिट्टी के खिलौने, वॉल हैंगिंग, कागज के लिफाफे, अनुपयोगी वस्तुओं से सजावटी सामान आदि का निर्माण कराया जाय।

(13) विद्यालय में प्रत्येक माह अभिभावक समिति की बैठकें आयोजित की जाये, जिसमें सदस्यों के अलावा अन्य अभिभावकों को भी बुलाकर अवगत कराया जाये कि बच्चा कहां एवं किन क्षेत्रों में बेहतर कर रहा है, कहां कठिनाई का अनुभव कर रहा है तथा अभिभावक बच्चे की कहां–कहां और किस तरह मदद कर सकते हैं। इसमे अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के अभिभावकों से भी उपस्थिति बढ़ाने हेतु मदद प्राप्त की जाय।

(14) न्याय पंचायत एवं नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र और ब्लाक/ नगर संसाधन केन्द्र के समन्वयकों व सह–समन्वयकों द्वारा प्रत्येक माह 10–15 विद्यालयों का भ्रमण किया जायेगा। भ्रमण के दौरान विद्यालय में रैण्डम सैंपलिंग के आधार पर 10 प्रतिशत बच्चों की उपलब्धि का मूल्यांकन और शिक्षक डायरी का अवलोकन किया जाये तथा अभिभावक/समुदाय/विद्यालय प्रबन्ध समिति से सम्पर्क कर विद्यालय की पढाई के विषय में जानकारी की जाय ।

(15) इसी प्रकार खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन का अनुश्रवण करने के लिए प्रत्येक माह में 40 विद्यालयों का, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा 20 विद्यालयों का और मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा 10 विद्यालयों का भ्रमण किया जायेगा।

कृपया तदनुसार कार्यवाही करते हुए विद्यालयों में पठन–पाठन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

8.13

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, लखनऊ।
2– शिक्षा निदेशक (बेसिक/एस0सी0ई0आर0टी0), उ0प्र0, लखनऊ।
3– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

अलाभित समूह- दुर्बल वर्ग प्रतिपूर्ति

प्रेषक,

संख्या–538/79–6–2013

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1– शिक्षा निदेशक(बेसिक),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2– शिक्षा निदेशक(माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3– वित्त नियंत्रक,
शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0, इलाहाबाद ।

शिक्षा अनुभाग–6

लखनऊ दिनांक 20 जून, 2013

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत आस–पास (neighbourhood) के गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा–एक/पूर्व प्राथमिक कक्षा में कम से कम 25 प्रतिशत सीमा तक प्रवेश के उपरान्त शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया का निर्धारण किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–शि0नि0बे0/2611/13–14 दिनांक 13–5–2013 एवं पत्र संख्याः शि0नि0(बे0)/5299 दिनांक 18.06.2013 तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत आस–पास(neighbourhood) के गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा–एक/पूर्व प्राथमिक कक्षा में कम से कम 25 प्रतिशत सीमा तक प्रवेश दिये जाने की व्यवस्था के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या–3087/(1)/79–5–2012–29/09 टी0सी0–II दिनांक 03–12–2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश दिनांक 3–12–2012 के अनुसार अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के कक्षा–1/पूर्व प्राथमिक कक्षा की कुल सीट क्षमता के कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक शैक्षिक सत्र 2013–14 में निःशुल्क शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु प्रवेश दिया जायेगा, जो सम्बन्धित छात्र को उस विद्यालय हेतु कक्षा–8 तक मान्य रहेगा और इस प्रयोजन हेतु संबंधित शिक्षण संस्थाओं को उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया है , जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें :–

(क)– शासनादेश दिनांक 3–12–2012 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा–एक/पूर्व प्राथमिक कक्षा में कम से कम 25 प्रतिशत सीमा तक अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों का प्रवेश समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों/ जिला

विद्यालय निरीक्षकों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विद्यालयों में प्रवेश कराया जाना बाध्यकारी होगा ।

(ख)– निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम–8(2) में दी गई व्यवस्था के अनुरूप प्रति बालक/बालिका रू0 450–00 प्रतिमाह शुल्क प्रतिपूर्ति निर्धारित की गई है । प्रतिपूर्ति हेतु प्रति बालक विद्यालय का वास्तविक शुल्क या रू0 450–00 से जो भी कम होगा, देय होगा ।

(ग)– विद्यालय हेतु आस–पास(neighbourhood) की परिभाषा के अन्तर्गत वार्ड (स्थानीय निकाय अर्थात ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम जैसी भी स्थिति हो, के वार्ड) को इकाई समझा जायेगा अर्थात जिस वार्ड में विद्यालय स्थापित होगा उसी वार्ड के उक्त श्रेणी के बच्चों को इसका लाभ अनुमन्य होगा । यदि उस वार्ड में उक्त श्रेणी के बच्चे पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो उसका क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को होगा । शासनादेश दिनांक 3–12–2012 में यथा परिभाषित/अधिसूचित अलाभित समूह/दुर्बल वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी के स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही उक्त प्रवेश अनुमन्य किया जायेगा ।

(घ)– बच्चे के माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय की पुष्टि अवश्य की जायेगी, जिसके प्रमाण स्वरूप निर्गत आय प्रमाण पत्र सहित , प्रमाण पत्र निर्गतकर्ता अधिकारी का पद नाम व नाम विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखा जायेगा । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रपत्र–2/4 के अन्तर्गत प्रविष्टियों की पुष्टि करायेंगें एवं सत्यापन के लिए उत्तरदायी होंगें ।

(ड.)– उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के (मूल अधिनियम की धारा 12) नियम 8 के उपनियम (3) से (6) में निम्नांकित व्यवस्था की गई है:–

(3) धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (चार) में सन्दर्भित प्रत्येक विद्यालय धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिपूर्ति स्वरूप प्राप्त धनराशि के सम्बन्ध में पृथक बैंक खाता अनुरक्षित रखेगा ।

(4) उपनियम (3) में निर्दिष्ट प्रतिपूर्ति की अपेक्षा करने वाला प्रत्येक विद्यालय अनन्य पहचान संख्या सहित बालकों की सूची और शिक्षा निदेशक(बेसिक) द्वारा विहित प्रपत्र पर समस्त आवश्यक विवरण के साथ–साथ साक्ष्य सहित विद्यालय द्वारा उपगत मदवार व्यय का विवरण प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर तक उपलब्ध करायेगा :

परन्तु जहां ऐसे विद्यालय, निःशुल्क अथवा रियायती दर पर कोई भूमि/भवन/उपकरण अथवा अन्य सुविधाएं प्राप्त कर लेने के कारण विनिर्दिष्ट संख्या में बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु पहले ही वचनबद्ध हों, वहां ऐसे विद्यालय ऐसी वचनबद्धता की सीमा तक प्रतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगें ।

(5) जिला शिक्षा अधिकारी (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक) आवश्यक सत्यापन के पश्चात देय प्रतिपूर्ति धनराशि को उपनियम (3) में सन्दर्भित खाते में अंतरित करेगा तथा उक्त सूचना को वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक करेगा ।

(6) यदि किसी भी स्तर पर विद्यालय द्वारा तथ्यों को छिपाकर अथवा मिथ्या दावे के आधार पर प्रतिपूर्ति की अपेक्षा करके उसे प्राप्त किया गया पाया जाता है तो उसे विद्यालय की मान्यता वापस लेने की कार्यवाही और भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के अधीन कार्यवाही सहित इस प्रकार प्राप्त की गयी धनराशि की दुगुनी धनराशि सरकारी राजकोष में जमा करनी होगी और यह धनराशि जिलाधिकारी द्वारा भूमि राजस्व की बकाया धनराशि के रूप में वसूली जायेगी ।

3— माध्यमिक शिक्षा के अधीन कक्षा–1 से 5 एवं 6 से 8 तक संचालित कक्षाओं वाले माध्यमिक विद्यालयों तथा सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0 बोर्ड द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु मांग प्रपत्र–2 पर प्राप्त की जायेगी और विवरण संकलित करने के उपरान्त सत्यापित कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेंगें । बेसिक शिक्षा के अधीन संचालित विद्यालयों के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त विवरण संकलित किया जायेगा तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त विवरण को संकलित करते हुए जनपद का मांग पत्र वित्त नियंत्रक, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद को प्रेषित किया जायेगा ।

4— शासनादेश दिनांक 3–12–2012 के साथ संलग्न आवेदन पत्र प्रपत्र–1 (परिशिष्ट–1) पर प्रवेश के लिए आवेदन किया जायेगा, जिसका संकलित विवरण संस्था द्वारा संलग्न प्रपत्र–2 (परिशिष्ट–2) पर अंकित प्रारूप पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध कराया जायेगा ।

5— विद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों के आधार पर प्रवेश की कार्यवाही करने के उपरान्त प्रथम छमाही हेतु 30 जुलाई तक प्रपत्र–3 में विवरण अंकित करते हुए प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि की मांग जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रस्तुत किया जाएगा ।

6— जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी 30 सितम्बर तक संलग्न प्रपत्र–4 पर अपने जनपद की संकलित मांग वित्त नियंत्रक, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद को प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगें । वित्त नियंत्रक के स्तर से परीक्षणोपरान्त 15 अक्टूबर तक जनपदों को, मांगी गई धनराशि उपलब्ध करायेंगें । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा धनराशि प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर समस्त विद्यालयों को, खोले गये खाते में (प्रपत्र–3 के अनुसार) धनराशि अन्तरित करा दी जायेगी।

7— विद्यालयों द्वारा द्वितीय छमाही के लिए मांग पत्र उसी प्रक्रिया के अनुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में 15 दिसम्बर तक प्राप्त करा दिया जायेगा और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वित्त नियंत्रक, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद से वांछित धनराशि प्राप्त कर 15 फरवरी तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय के खाते में द्वितीय किस्त अन्तरित की जायेगी ।

8— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 एवं शासनादेश संख्या–3087/(1)/79–5–2012–29/09 टी0सी0–11 दिनांक 03–12–2012 राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान, लखनऊ की वेबसाइट–www.upefa.com पर उपलब्ध है ।

9— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत आस–पास (neighbourhood) के गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा–एक/पूर्व प्राथमिक कक्षा में कम से कम 25 प्रतिशत सीमा तक प्रवेश के उपरान्त शुल्क प्रतिपूर्ति लेखा शीर्षक "2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता–31–निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा–3105–अराजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे अलाभित समूह एवं कमजोर वर्ग के कक्षा–1 से 8 के बच्चों की शिक्षा पर आने वाले व्यय के निमित्त सहायता–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) " के अन्तर्गत की जायेगी।

उपर्युक्त प्रकिया के अनुसार शुल्क प्रतिपूर्ति की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय । प्रकिया के अनुसार शिक्षा निदेशक(बेसिक) तथा शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) द्वारा मासिक अनुश्रवण किया जायगा। शासन को कृत कार्यवाही की मासिक सूचना भी प्रेषित की जायगी।

संलग्नकः उक्तवत् ।

भवदीय,

20.6.13

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–538(1)/79–6–2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1— राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, निशातगंज, लखनऊ ।
2— शिक्षा निदेशक(माध्यमिक), 15 पार्क रोड, लखनऊ ।
3— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4— अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद ।
5— सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ।
6— समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश ।
7— समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
5— समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

(ममता श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव ।

R.P. Edn-6/13.

खेल नीति के सम्बन्ध में

संख्या /79-5-2013-1(12)/13

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उ0प्र0 लखनऊ।

2. राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना
लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग–5

लखनऊः दिनांकः जून, 2013

विषयः खेल नीति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खेलकूद विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदेश में खेल एवं शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु खेल नीति बनाये जाने पर विचार किया जा रहा है। उक्त खेल नीति के अन्तर्गत खेल अवस्थापनाओं का विस्तार एवं आधुनिकीकरण किया जाना है। साथ ही प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। शिक्षण संस्थाओं में भी उक्त नीति को लागू किया जाना प्रस्तावित है।

2– अवगत कराना है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत 01 किमी0 की परिधि में प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण निर्धारित है। इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि कतिपय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय एक ही परिसर में संचालित होते हैं। अधिकांश विद्यालयों में खेल के मैदान हेतु भूमि उपलब्ध नही हो पाती है। ग्राम सभा/पंचायत/नगर स्तर पर खेल कूद की व्यवस्था यथा–खेल के मैदान का निर्माण कराया जाता है और नगर स्तर पर पार्क/स्टेडियम में खेल की व्यवस्था की जाती है तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को खेल प्रशिक्षण/खेलने का अवसर/सुविधा प्रदान की जाती है तो विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा इच्छुक छात्र/छात्राओं को व्यवस्थानुसार खेल में प्रतिभाग किये जाने का अवसर प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जहां 100 से अधिक छात्र संख्या है वहां अंशकालिक अनुदेशक की शारीरिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति की जा रही है तथा जिन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उक्त शिक्षक की नियुक्ति की जा रही है और उसी परिसर में प्राथमिक विद्यालय भी स्थित है तो संबंधित शिक्षक द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के साथ–साथ प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को भी विद्यालय की व्यवस्थानुसार खेल की गतिविधियों में शामिल किया जायेगा।

उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

D prasad (autosaved)(autosaved)

शिकायतों का निवारण

प्रेषक,

बासुदेव यादव,
शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0,
निशातगंज, लखनऊ ।

सेवा में,

1–समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
2–समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकःआर0टी0ई0 / शि0नि0(बे0) /12350-625/ 2012–13 दिनांक30जुलाई, 2012

विषयः **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत 'बालक के अधिकार का संरक्षण' हेतु धारा 32 (1) एवं उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अनुच्छेद 25 (2) के अनुसार शिकायतों को दूर करने की व्यवस्था ।**

महोदय / महोदया,

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय–6 में बालकों के अधिकार के संरक्षण के सम्बन्ध में प्रावधान दिए गये हैं।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 32 (1) मे निम्नवत् व्यवस्था दी गयी है:–

1. धारा 31 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी बालक के अधिकार के सम्बन्ध में कोई शिकायत है, अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी को लिखित में शिकायत कर सकेगा।
2. उपधारा (1) के अधीन शिकायत प्राप्त होने के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी, सम्बन्धित पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् मामले का तीन मास की अवधि के भीतर निपटारा करेगा।
3. स्थानीय प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, यथास्थिति, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग को या धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन विहित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।
4. उपधारा 3 के अधीन की गई अपील का विनिश्चय धारा 31 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन यथा उपबन्धित, यथास्थिति राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग या धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन निहित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

इसी प्रसंग में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में 25–(2) में निम्नवत् व्यवस्था दी गई है:–

25 (2) प्रारम्भिक रूप से कोई शिकायत ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड शिक्षा समिति को उसके सदस्य सचिव के माध्यम से की जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड शिक्षा समिति के विनिश्चय के पश्चात् अपील, यथास्थिति विकास खण्ड स्तरीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी को की जा सकती है। द्वितीय अपील उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा–10 के अधीन ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों के लिए जिला पंचायत को और धारा 10–क के अधीन नगरीय क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों के लिए नगर पालिका को की जा सकती है।

समस्त शिकायतों का अनुश्रवण, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा ऑन लाइन क्रियाविधि के आधार पर पारदर्शी और तत्परतापूर्ण कार्यवाही के माध्यम से किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उल्लिखित बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

- बाल अधिकारों के संरक्षण के सम्बन्ध में कोई शिकायत ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य सचिव, विद्यालय के प्रधानाध्यापक के माध्यम से ग्राम शिक्षा समिति को प्रस्तुत होंगी। सदस्य सचिव प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होगा कि ग्राम शिक्षा समिति में शिकायत निराकरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा। शिकायत का निराकरण करके और निर्णय की सूचना अधिकतम तीन माह में सम्बन्धित शिकायतकर्ता को दी जायेगी।
- इसी प्रकार नगर क्षेत्र के संदर्भ में वार्ड शिक्षा समिति को शिकायत सदस्य सचिव, प्रधानाध्यापक के माध्यम से दी जायेगी। वार्ड शिक्षा समिति के प्रधानाध्यापक द्वारा भी निराकरण के उपरान्त निर्णय की सूचना अधिकतम तीन माह में शिकायतकर्ता को दी जायेगी।
- इस प्रकार के प्रथम स्तर पर निराकरण के निर्णय की सूचना से व्यथित शिकायतकर्ता अपील विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी को ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में तथा नगर क्षेत्र के संदर्भ में नगर शिक्षा अधिकारी को की जा सकेगी। इस अपील पर निर्णय की सूचना अधिकतम तीन माह में सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को दी जायेगी।
- प्रथम अपील में दिये गये निर्णय से व्यथित होने पर द्वितीय अपील उ0प्र0 बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा–10 के अधीन ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों के लिए

जिला पंचायत को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अपील की जा सकेगी। और नगर क्षेत्र के मामलों में उ0प्र0 बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा–10 क के अधीन नगर पालिका को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अपील की जा सकेगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जिला पंचायत अध्यक्ष/नगरपालिका के अध्यक्ष को निर्णय प्रस्तुत करेंगे।

- द्वितीय अपील पर निराकरण करते हुए निर्णय अधिकतम तीन माह में अवश्य दे दिया जाए।
- इन शिकायतों के निराकरण हेतु सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद द्वारा ऑनलाइन कियाविधि के आधार पर पारदर्शी ढंग से तत्परतापूर्वक कार्यवाही की जायेगी। सम्पूर्ण प्रदेश की शिकायतों का अनुश्रवण सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद द्वारा किया जायेगा। किन्तु व्यवस्था की दृष्टि से इस कार्य को सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् के मार्गदर्शन में परिषद में कार्यरत संयुक्त सचिव और उपसचिव के मध्य विभाजित करके कराया जायेगा। प्रदेश के आधे–आधे जनपदों का कार्य सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संयुक्त सचिव एवं उपसचिव आबंटित किया जायेगा। उपर्युक्त समस्त कार्यवाही प्रभावपूर्ण रीति से सुनिश्चित कराये जाने का कार्य सचिव,उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(बासुदेव यादव)
शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0सं0:आर0टी0ई0/शि0नि0(बे0)/12358-625/2012–13 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि:–

1-- सचिव, बेसिक शिक्षा, (शिक्षा अनुभाग–5) उ0प्र0 शासन की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2– जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0 ।
3– शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर पदेश।
4 -- राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0।
5--- निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एस0सी0ई0आर0टी0) लखनऊ।
6--- अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक/माध्यमिक), शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।

7— सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि शिकायतों का अनुश्रवण ऑनलाइन कियाविधि के आधार पर पारदर्शी ढंग से तत्परतापूर्वक करने का कष्ट करें।

8— मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, समस्त मण्डल ।

9— समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश।

(बासुदेव यादव)
शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ। ।

शिक्षकों के कर्तव्य

शिविर कार्यालय शिक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश, निशातगंज, लखनऊ ।

पत्रांकः शि0नि0(बे0)/1664-823/2012–13 दिनांकः 19 जुलाई, 2012

कार्यालय ज्ञाप

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अधीन 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक/बालिका को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है । उक्त अधिनियम की धारा 24(1) में विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों हेतु निम्नवत् कर्तव्य निर्धारित किए गये हैं :–

(क) विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय पालन,

(ख) धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूरा करना ।

(ग) विनिर्दिष्ट समय के भीतर पाठ्यक्रम पूरा करना,

(घ) प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण करना और तद्नुसार यथा अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण, यदि कोई हो, जोड़ना,

(ङ.) माता–पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करना और बालक के बारे में उपस्थिति में, नियमितता, शिक्षा ग्रहण करने का सामर्थ्य, शिक्षण में की गई प्रगति और किसी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में उन्हें अवगत कराना,

(च) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जो विहित किए जांय,

उक्त के क्रम में राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 19(1) में अध्यापकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले निर्धारित कर्तव्य निम्नांकित हैः–

(क) विद्यालय में नियमित और समय से उपस्थिति, नियमित शिक्षण, विद्यार्थियों के लेखन कार्य का नियमित शुद्धिकरण तथा विनिर्दिष्ट समय के भीतर सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पूर्ण करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी और विद्यालय प्रबन्ध समिति के प्रति उत्तरदायी होगा,

(ख) प्रत्येक बालक की विद्यालय में नियमित उपस्थिति, सीखने की क्षमता तथा प्रगति का अनुश्रवण करेंगा, नियमित रूप से बालकों के कार्य निष्पादन पर माता–पिता के साथ चर्चा करेगा,

(ग) जब अपेक्षा की जाय, तब विद्यालय प्रबन्ध समिति के कियाकलापों के प्रबन्धन में सहयोग करेगा,

(घ) स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता में समस्त बालकों के विद्यालय में प्रवेश के लिए स्थानीय प्राधिकारी की यथा अपेक्षित सहायता करेगा,

(ङ.) बालकों के ज्ञान की समझ और ज्ञान के अनुप्रयोग में उसकी योग्यता की जाँच तथा सतत् मूल्यांकन हेतु प्रत्येक बालक के शिष्य संचयी अभिलेखयुक्त फाईल अनुरक्षित रखेगा तथा जिसके आधार पर पूर्णता का प्रमाणपत्र प्रदान करेगा ।

ज्ञातव्य है कि शासनादेश संख्या–1739/79–5–2011–29/2009टी0सी0 दिनांक 28 जून, 2011 द्वारा विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन सभी विद्यालयों में किया जा चुका है तथा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के परिपत्र संख्या–स्कूल चलो अभियान/1064/2012–13 दिनांक 12 जून, 2012 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए समस्त सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित किए जाने हेतु **शिक्षा का हक** अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में 10 शिक्षा दलों (प्रत्येक दल में 03 स्वयं सेवी होंगे) को गठित किए जाने के निर्देश दिए गये हैं । शिक्षा दलों द्वारा प्रत्येक माह 20 आवंटित विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना है । इसी के साथशिक्षा निदेशक(बेसिक) के पत्रांक शि0नि0(बे0)/उ0नि0(प्रा)/6497–6592/2012–13 दिनांक 07 जून, 2012 द्वारा नवीन शैक्षिक सत्र 2012 –13 हेतु विद्यालयों में अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने हेतु विकास खण्ड/जनपदीय/मण्डलीय अधिकारियों के लिए निरीक्षण हेतु निर्देश भी भेजे गये हैं ।

चूँकि वर्तमान शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होते हुए लगभग एक माह व्यतीत हो चुका है, इसलिए अब आवश्यकता इस बात की है कि विद्यालयों का सघन निरीक्षण किया जाय और यह देखा जाय कि विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों के निःशुल्क वितरण के पश्चात् कक्षा शिक्षण कितना हुआ है ? पढ़ाये गये पाठों पर छात्र/छात्राओं के अवबोध की स्थिति सरल भाषा में प्रश्नों के माध्यम से ज्ञात की जाय तथा उसका अंकन सुस्पष्ट रूप से पर्यवेक्षण आख्या में किया जाय । साथ ही यह भी देखा जाय कि विद्यालयों में वर्तमान में निर्गत नियमों/निर्देशों के अनुपालन की क्या स्थिति है? विद्यालयों में अध्यापकों की नियमित उपस्थिति, नियमित शिक्षण एवं पाठ्यक्रमानुसार पठन–पाठन के निरीक्षण/पर्यवेक्षण हेतु संलग्न सूची के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित जनपदों हेतु निरीक्षण/पर्यवेक्षण अधिकारी नामित किए जाते है। नामित अधिकारियों के द्वारा अपने नाम के सम्मुख अंकित जनपदों में **माह, अगस्त/सितम्बर,2012** के द्वितीय, तृतीय सप्ताह में विद्यालयों का सघन निरीक्षण/पर्यवेक्षण किया जायेगा । निरीक्षण में अध्यापक/छात्रों की उपस्थिति, पाठ्यक्रमानुसार पठन–पाठन, नियमित कक्षा शिक्षण, बच्चों के पास पाठ्य पुस्तकों/यूनीफार्म की उपलब्धता आदि के संबंध में विशेष ध्यान दिया जाय, जिससे विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक वातावरण सृजित हो सके । इसी के साथ निरीक्षण के समय यथा–सम्भव विद्यालय प्रबन्ध समिति के कियाकलापों का अनुश्रवण तथा प्रबन्ध समिति को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाय । यह भी देखा जाय कि **शिक्षा का हक** अभियान के अन्तर्गत जनपदों में स्वैच्छिक दलों का गठन किया गया है या नहीं और गठित स्वैच्छिक दलों द्वारा निरीक्षण आदि किए जाने की क्या स्थिति है । इन समस्त बिन्दुओं खण्ड शिक्षा अधिकारी सघन रूप से विद्यालय का भ्रमण करके अनुपालन सुनिश्चित करेंगें ।

संलग्न सूची में अंकित निरीक्षण/पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा निरीक्षण आख्या विद्यालय में भी अंकित की जायेगी तथा सर्व संबंधित को आवश्यक निर्देशों सहित

कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगी, जिसमें सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण के स्तर का भी मूल्यांकन किया जायगा । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) उपर्युक्त वर्णित कर्तव्यों का निर्वहन सुनिश्चित करेंगें ।

(बासुदेव यादव)
शिक्षा निदेशक(बेसिक),
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्याः शि0नि0(बे0)/ 10664-823/2012–13 तद्दिनांक

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, निशातगंज, लखनऊ ।
2– विशेष सचिव, शिक्षा (5) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
3– अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद ।
4– सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ।
5– समस्त नामित निरीक्षण/पर्यवेक्षण अधिकारी ।
6– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश ।
7– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित है कि इस कार्यालय ज्ञाप की प्रति समस्त खण्ड शिक्षाधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

संलग्नकः उक्तवत् ।

(बासुदेव यादव)
शिक्षा निदेशक(बेसिक),
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग

संख्याः 3087(1)/79–5–2012–29/09टी.सी.–11

प्रेषक,

प्रमुख सचिव
बेसिक शिक्षा विभाग
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उ0प्र0, लखनऊ।
2– शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)
उ0प्र0, लखनऊ।
3– जिलाधिकारी
समस्त जनपद, उ0प्र0।

शिक्षा अनुभाग–5

लखनऊः दिनांकः 03 दिसम्बर, 2012

विषयः **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–12 (1) (ग) के अन्तर्गत आस–पास (Neighbourhood) के गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा–एक/पूर्व प्राथमिक कक्षा में कम से कम 25 प्रतिशत सीमा तक प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार सभी बालकों को प्रदेश के सरकारी और परिषदीय विद्यालयों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाना आवश्यक है। अतः कक्षा–1 से 8 तक की शिक्षा हेतु निःशुल्क प्रवेश के उपरान्त गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्त करने की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अधिनियम में यह भी व्यवस्था प्रदत्त है कि राज्य सरकार से सहायतित विद्यालयों में यथा वर्णित निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करायी जायेगी। इसके साथ ही गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पहली कक्षा में आस–पास में दुर्बल वर्ग/अलाभित समूह के बच्चों को उस कक्षा के बालकों की कुल संख्या के कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश दिया जायेगा और निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का प्रावधान कक्षा–8 तक लागू रहेगा, जिन विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है उनमें 25 प्रतिशत प्रवेश देने की यह व्यवस्था पूर्व प्राथमिक स्तर पर से ही लागू की जायेगी।

2– *उ0प्र0 शासन द्वारा अधिसूचना संख्या–3087/79–5–2012–29/09टी.सी.–11 दिनांक 30.11.2012 द्वारा "अलाभित समूह का बालक" और "दुर्बल वर्ग के बालक" को विनिर्दिष्ट करते हुए अधिसूचित कर दिया गया है"*, जो इस पत्र के साथ संलग्न है।

(i) उपर्युक्त अधिनियम 2009 के अन्तर्गत 'अलाभित समूह के बालक' की श्रेणी में निम्न को रखा गया है :–

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त बच्चा

- एच0आई0वी0 अथवा कैंसर पीड़ित माता–पिता/अभिभावक का बच्चा, निराश्रित बेघर बच्चा।

(ii) "दुर्बल वर्ग के बालक" के अन्तर्गत निम्न को रखा गया है:–

- जिसके माता–पिता या संरक्षक, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत गरीबी रेखा के नीचे के कार्डधारक हैं अथवा ग्राम्य विकास विभाग की सूची में सम्मिलित हैं।
- जिसके माता–पिता या संरक्षक विकलांगता/वृद्धावस्था/विधवा पेशन प्राप्तकर्ता हैं।
- जिसके माता–पिता या संरक्षक की अधिकतम वार्षिक आय रू0 1.00 लाख तक हो।

इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रू0 35000/– तक की वार्षिक आय वाले माता–पिता/अभिभावकों के बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश हेतु वरीयता प्रदान की जायेगी। इसके उपरान्त प्रवेश हेतु सीटे शेष रहने पर आरोही कम में एक लाख रूपये तक वार्षिक आय वाले बच्चों को प्रवेश शेष सीटों के अन्तर्गत दिया जायेगा। स्पष्टतः प्रवेश का आधार वार्षिक आय रखा गया है। समस्त आवेदकों की सूची आरोही कम में तैयार की जायेगी और सीटों की संख्या के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।

3– उक्त अधिनियम 2009 में 'विद्यालय' को परिभाषित किया गया है कि यह व्यवस्था समस्त गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालय में लागू होगी, अर्थात् शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश से मान्यता प्राप्त के अतिरिक्त सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 विद्यालयों पर भी यह व्यवस्था लागू होगी।

4– यह उल्लेखनीय है कि अल्पसंख्यक संस्थाओं को अधिनियम की परिधि से बाहर रखा गया है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2012 (अधिनियम सं0 30 ऑफ 2012) में संशोधन के उपरान्त निम्नवत् व्यवस्था दी गयी है :–

2. In the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 1, after sub-section (3), the following sub-sections shall be inserted, namely:-

"(4) Subject to the provisions of articles 29 and 30 of the Constitution, the provisions of this Act shall apply to conferment of rights on children to free and compulsory education.

(5) Nothing contained in this Act shall apply to madrasas, Vedic Pathsalas and educational institutions primarily imparting religious instruction."

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि अल्पसंख्यक संस्थाओं के सन्दर्भ में संविधान के अनुच्छेद 29–30 की व्यवस्था लागू होगी और मदरसा, वैदिक पाठशाला एवम् प्रारम्भिक तौर पर धार्मिक शिक्षा देने वाले शैक्षिक संस्थानों पर अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी याचिका संख्या (C)No. 95 of 2010 दिनांक 12 अप्रैल, 2012 द्वारा यह अवधारित किया गया है कि गैर सहायतित अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं में यह अधिनियम 2009 लागू नही होगा। इस प्रकार स्पष्टतः गैर सहायतित अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं में भी यह प्रावधान लागू नहीं होगा।

5— शैक्षिक सत्र 2013—14 से उपर्युक्त व्यवस्था लागू की जायेगी। सत्र प्रारम्भ होने के 02 माह पूर्व व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा। आवेदन पत्र का प्रारूप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशित कराया जायेगा। साथ ही खण्ड शिक्षा अधिकारी बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 स्तर पर भी प्रारूप उपलब्ध कराया जायेगा तथा आवेदन पत्र के प्रारूप का भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ "अलाभित समूह" के श्रेणी के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, "दुर्बल वर्ग" श्रेणी के लिये वार्षिक आय प्रमाणपत्र तथा निःशक्त, एच0आई0वी0 अथवा कैंसर पीड़ित माता—पिता/अभिभावक का बच्चा, हेतु चिकित्सा प्रमाणपत्र, निराश्रित बेघर बच्चा श्रेणी हेतु तहसीलदार का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट— 1 पर संलग्न है। आवेदक को परिशिष्ट—1 में वर्णित 'आस—पास' (neighbourhood) में रहने के प्रमाण स्वरूप साक्ष्य लगाना आवश्यक होगा।

6— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में शासन द्वारा निम्नांकित प्रावधान किये गये हैं:—

(क) 06—14 आयु वर्ग के समस्त "अलाभित समूह" तथा "दुर्बल वर्ग" के बालकों को पड़ोसी राजकीय/परिषदीय एवं सहायतित विद्यालयों में दाखिले का अधिकार होगा।

(ख) जिला बेसिक शिक्षा अधीकारी द्वारा यह पाए जाने पर कि "अलाभित समूह" तथा "दुर्बल वर्ग" के बालकों को पड़ोसी राजकीय/परिषदीय एवं सहायतित विद्यालयों में स्थान/सीटों के अभाव के कारण दाखिला नहीं मिल पा रहा है तो राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नीति के अनुरूप ऐसे विद्यार्थियों को निजी असहायतित विद्यालयों में 25 प्रतिशत स्थान/सीटों की सीमा तक कक्षा—1 में प्रवेश पाने का अधिकार प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के अधिकतम 10 कार्य दिवस में आदेश पारित करके निजी विद्यालयों में दाखिला देने का दायित्व होगा, जो सम्बन्धित विद्यार्थी हेतु कक्षा—8 तक की शिक्षा तक मान्य रहेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उपरोक्त कार्यवाही हेतु 05 दिवस में स्वतः स्पष्ट प्रस्ताव सहित पत्रावली जिलाधिकारी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा अधिकतम 05 दिवस में प्रकरण पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा एवं माता—पिता/अभिभावक को तद्परान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सूचित भी किया जायेगा।

(ग) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा लगातार यह सूचना एकत्र की जायेगी कि सरकारी/परिषदीय एवं सहायतित विद्यालयों में न केवल क्षमता के अनुरूप दाखिला लिया गया है, वरन् यह सूचना भी एकत्र की जायेगी कि दाखिले के अनुसार वास्तव में बालक/बालिका लगातार शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ड्राप आउट होने वाले स्थान/सीटें यदि शीघ्रता से नहीं भरती हैं, तो उन स्थान/सीटों पर 'अलाभित' एवं 'दुर्बल वर्ग' के बालक—बालिकाओं को दाखिला देने की व्यवस्था की जायेगी।

(घ) राज्य सरकार द्वारा बनाई गयी नीति के अनुरूप उपरोक्त पद्धति से निजी विद्यालयों में दाखिला पाने वाले विद्यार्थियों पर होने वाले व्यय की

प्रतिपूर्ति अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

7— उपर्युक्त विद्यालय फीस की प्रतिपूर्ति स्वरूप प्राप्त होने वाली धनराशि के लिये पृथक बैंक में खाता अनुरक्षित करेगा। शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर समस्त आवश्यक विवरण के साथ–साथ साक्ष्य सहित विद्यालय द्वारा उपगत मदवार व्यय का विवरण प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर तक उपलब्ध कराया जायेगा; **परन्तु जहाँ ऐसे विद्यालय, निःशुल्क अथवा रियायती दर पर कोई भूमि/भवन/उपकरण अथवा अन्य सुविधाएं प्राप्त कर लेने के कारण विनिर्दिष्ट संख्या में बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु पहले ही वचनबद्ध हों, वहाँ ऐसे विद्यालय ऐसी वचनबद्धता की सीमा तक प्रतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे।**

जिला शिक्षा अधिकारी अर्थात् माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा तथा बेसिक शिक्षा के संदर्भ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवश्यक सत्यापन के पश्चात् देय प्रतिपूर्ति धनराशि को विद्यालय द्वारा बैंक में खोले गये खाते में अन्तरित किया जायेगा तथा इस सूचना को वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक किया जायेगा। यदि किसी भी स्तर पर विद्यालय द्वारा तथ्यों को छिपाकर अथवा मिथ्या दावे के आधार पर प्रतिपूर्ति की अपेक्षा करके उसे प्राप्त किया गया पाया जाता है तो उस विद्यालय की मान्यता वापस लेने के साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धराओं के अधीन कार्यवाही की जायेगी और दोषी को दोगुनी धनराशि सरकारी राजकोष में जमा करनी होगी। इस धनराशि की वसूली कलेक्टर द्वारा भू राजस्व की बकाया धनराशि के रूप में की जायेगी।

8— इस सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 द्वारा शुल्क के व्यय की पूर्ति हेतु प्रपत्र विकसित किया जायेगा। इसमें अपेक्षित सूचनाओं के साथ प्रविष्टियाँ एवं सत्यापन हेतु समुचित व्यवस्था की जायेगी। शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा तैयार कराये गये प्रपत्र का परीक्षण विभाग के वित्त नियंत्रक द्वारा किया जायेगा। विद्यालय प्रतिपूर्ति के दावों के परीक्षण हेतु राज्य स्तर पर वित्त नियंत्रक एवं जनपद स्तर पर सम्बन्धित विभाग के वित्त एवं लेखाधिकारी उत्तरदायी होंगें। यह समस्त कार्यवाही शिक्षा निदेशक (बेसिक) के निर्देशन में सम्पन्न होगी। अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) मुख्यालय, इलाहाबाद समस्त प्रवेश एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे एवं शिक्षा निदेशक (बेसिक) के निर्देशन में प्रवेश एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के संबंध में सुचारू कार्यवाही सम्पन्न करायेंगे। शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वित्त नियंत्रक के परामर्श से शुल्क के प्रतिपूर्ति विषयक विस्तृत प्रस्ताव शासन को आवश्यक प्रपत्रों सहित 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा।

9— आप अवगत हैं कि इन प्रावधानों के कियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 दिनांक 27 जुलाई, 2011 को प्रख्यापित की जा चुकी है। उपर्युक्त विषय पर उक्त नियमावली 2011 के अनुच्छेद–8 में यह स्पष्ट किया गया है कि बच्चों के प्रवेश की यह प्रकिया पूर्णतया पारदर्शी रखी जायेगी। प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले बच्चे/अभिभावक के लिये इस आशय से आवेदन प्रपत्र का प्रारूप परिशिष्ट–1 पर दिया गया है। इस प्रकार प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर आवेदनकर्ता का संकलित विवरण नियमित रूप से अनुरक्षित किया जायेगा, जिसमें बालक/बालिकाओं का नाम, पता, लिंग, जाति, श्रेणी, जन्मतिथि, माता–पिता/अभिभावक का नाम, वार्षिक आय इत्यादि का विवरण सन्निहित होगा। इस

सूचना को सार्वजनिक भी किया जायेगा तथा सूचनापट पर प्रदर्शित किया जायेगा; यथा सम्भव विद्यालयों की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित/डिसप्ले किया जायेगा। कुल आवेदकों में से जिनका प्रवेश प्रदत्त व्यवस्थानुसार सम्भव नहीं हुआ हो उन्हें कारण सहित संस्था द्वारा सूचित किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रवेश प्रकिया का अनुसरण करना विद्यालयों के लिए बाध्यकारी होगा। इन विद्यालयों में प्रवेश हेतु चयनित छात्रों का विवरण संकलित रूप में रखा जायेगा। इस आशय का प्रारूप परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

अतएव अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार अविलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संलग्नकः–उक्तवत्

भवदीय,

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– राज्य परियोजना निदेशक, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि पत्र की प्रति समस्त को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2– समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक/जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
3– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, (बेसिक), उ0प्र0।
4– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
5– वित्त नियंत्रक, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0।
6– वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय समस्त जनपद।
7– वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, समस्त जनपद।

आज्ञा से,

3/12/17

(हरेन्द्र वीर सिंह)
विशेष सचिव ।

उत्तर प्रदेश शासन
शिक्षा अनुभाग–5
संख्या:3087 / 79–5–2012–29 / 09
लखनऊः दिनांक 30 नवम्बर, 2012

अधिसूचना

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या–35, सन् 2009) की धारा –2 के खण्ड (घ) और खण्ड (ड़) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल विनिर्दिष्ट करते हैं, कि,–

(क) ऐसे माता–पिता या अभिभावक जो एच0आई0वी0 अथवा कैंसर से पीड़ित व्यक्ति है; का बालक अथवा ऐसा बालक जो अनाथ है, भी अलाभित समूह का बालक होगा;

(ख) ऐसे माता–पिता या अभिभावक, जिनकी वार्षिक आय रूपये एक लाख से अधिक नहीं है, का बालक दुर्बल वर्ग का बालक होगाः

परन्तु यह कि विद्यालयों में प्रवेश के प्रयोजनार्थ माता–पिता / अभिभावक, जिनकी आय रूपये 35000 / – प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है, के बालकों / प्रतिपाल्यों को प्रथम वरीयता दी जायेगी। उसके उपरान्त यदि प्रवेश की सीट तब भी रिक्त रह जाती है तो रूपये 35000 / – से अधिक की वार्षिक आय वाले माता–पिता / अभिभावक की वार्षिक आय के आरोही क्रम में तैयार की गयी सूची के अनुसार बालकों को प्रवेश दिया जायेगा।

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

Uttar Pradesh Shasan
Shiksha Anubhag - 5

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no : 3087 /79-5-2012-29/09 dated 30 November,2012

NOTIFICATION

No : 3087 /79-5-2012-29/09
Lucknow : Dated : 30 November, 2012

In exercise of the powers under clause (d) and clause (e) of section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Act no. 35 of 2009), the Governor is pleased to specify that;

(a) a child belonging to such parent or guardian who is HIV or Cancer affected person or a child who is an orphan shall also be the child belonging to disadvantaged group:

(b) a child belonging to such parent or guardian whose annual income does not exceed one lakh rupees shall be the child belonging to weaker section:

Provided that for the purpose of admission in schools, the children/wards of Parent/Guardian whose income is not more than Rs. 35000/- per year shall have the first priority. Thereafter if seats of admission are still vacant then the children shall be admitted according to the list prepared in the ascending order of the annual income of parents/guardians having annual income more than Rs. 35000/-.

Sunil Kumar
Principal Secretary

पड़ोसी विद्यालय का चिन्हांकन

प्रेषक:

बासुदेव यादव
शिक्षा निदेशक(बेसिक),उ0प्र0,
निशातगंज, लखनऊ।

सेवा में,

1— समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
2— समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक:आर0टी0ई0/शि0नि0(बे0)/9924-1019/ /2012–13 दिनांक: 16 जुलाई, 2012

विषय: **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकारी द्वारा (यथास्थिति ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगरपालिका/नगरपंचायत) पड़ोसी विद्यालय को चिन्हित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके उपर्युक्त अधिनियम के उपबन्धों को कियान्वित कराये जाने के प्रयोजन से उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 प्रख्यापित की गयी है। यह नियमावली जनपदीय अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है तथा सर्व शिक्षा अभियान की वेबसाइट www.upefa.com पर हिन्दी एवं अंग्रेजी में उपलब्ध है।

उक्त नियमावली में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार 6–14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुलभ कराने के प्रसंग में अपेक्षित कार्यवाही तत्काल किये जाने की आवश्यकता है।

इस सम्बन्ध में प्राथमिकता के आधार पर निम्नांकित कार्यवाही **दिनांक 30 सितम्बर, 2012** तक पूर्ण कर ली जाये।

1— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अनुच्छेद 4 (1) एवं 4 (3) में निम्नांकित व्यवस्था दी गयी है:—

4(1) "पास पड़ोस का क्षेत्र या सीमा, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत समिति द्वारा विद्यालय की स्थापना की जानी है, निम्नवत् होगी:—

(क) कक्षा एक से पाँच तक के बच्चों के सम्बन्ध में ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित किया जायेगा जिसके 1.00 किलोमीटर की दूरी के अन्तर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 300 है;

(ख) कक्षा छः से आठ तक के बच्चों के सम्बन्ध में ऐसी बस्ती मे विद्यालय स्थापित किया जायेगा जिसके 3.00 किलोमीटर की दूरी के अन्तर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 800 है।

स्पष्टीकरण:— इस नियम के प्रयोजनार्थ पद "राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत समिति" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की, यथास्थिति, धारा–10 या धारा–10 क के अन्तर्गत स्थापित समिति से है।

4(3) "स्थानीय प्राधिकारी अर्थात् यथास्थिति ग्राम पंचायत/ नगरनिगम/ नगरपालिका/नगर पचायत किसी पड़ोसी विद्यालय को चिन्हित करेगा जहाँ बालकों को प्रवेश दिलाया जा सके तथा प्रत्येक बस्ती के लिए अपनी अधिकारिता की भीतर ऐसी सूचना को सार्वजनिक करेगा"

उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में प्रत्येक बस्ती/आबादी के लिए पड़ोसी विद्यालय का चिन्हांकन कर सार्वजनिक करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें। यह चिह्नांकन सार्वजनिक करने के उद्देश्य से विद्यालय

एवं ग्राम पंचायत स्तर, विकास खण्ड क्षेत्र समिति स्तर तथा जनपदीय डी0पी0ओ0 के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाय। संकलित सूची खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा रखी जायेगी।

2-- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) में यह व्यवस्था दी गयी है--

धारा 12 (1)--इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,--

(क) **धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (i) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय, उसमें प्रविष्ट सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेगा;**

(ख) **धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय उसमें प्रवेश कराए गए बालकों के ऐसे अनुपात को, जो इस प्रकार प्राप्त उसकी वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान का, उसके वार्षिक आवर्ती व्यय से है, न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन रहते हुए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा;**

(ग) **धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (iii) और उपखण्ड (iv) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय पहली कक्षा में, आसपास में दुर्बल वर्ग और अलाभित समूह के बालकों को, उस कक्षा के बालकों की कुल संख्या से कम से कम पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश देगा और निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा होने तक, प्रदान करेगाः परन्तु यह और कि जहाँ धारा 2 के खण्ड (ढ) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय, विद्यालय पूर्व शिक्षा देता है वहाँ खण्ड (क) से खण्ड (ग) के उपबन्ध ऐसी विद्यालय पूर्व शिक्षा में प्रवेश को लागू होंगें।**

उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में पड़ोसी विद्यालय अवधारित किये जाने होंगें। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि अधिनियम 2009 की धारा--2 (ढ) में चार श्रेणी के विद्यालय परिभाषित किये गये हैं, जो इस प्रकार है--

धारा--2 (ढ) "विद्यालय" से प्रारम्भिक शिक्षा देने वाला कोई मान्यता प्राप्त विद्यालय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैः--

(i) समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वधीन या नियंत्रणाधीन कोई विद्यालय;

(ii) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी से अपने सम्पूर्ण व्यय या उसके भाग की पूर्ति करने के लिए सहायता या अनुदान प्राप्त करने वाला कोई सहायताप्राप्त विद्यालय;

(iii) विनिर्दिष्ट प्रवर्ग का कोई विद्यालय; और

(iv) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी से अपने सम्पूर्ण व्यय या उसके भागों की पूर्ति करने के लिए किसी प्रकार की सहायता या अनुदान प्राप्त न करने वाला काई गैर--सहायता प्राप्त विद्यालय।

3-- प्रत्येक बस्ती/आबादी के लिए सरकारी/परिषदीय/अनुदानित तथा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से गैर अनुदानित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में से पड़ोसी विद्यालय का चिन्हांकन किया जाना है। उल्लेखनीय है कि कक्षा--8 तक की कक्षाएं माध्यमिक विद्यालयों के साथ भी संचालित हैं। अतः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 की धारा 2 (ञ) में वर्णित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पड़ोसी विद्यालय अवधारण की स्थिति का अनुश्रवण किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त पड़ोसी विद्यालय के चिन्हांकन

की कार्यवाही स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्पन्न करायी जायेगी और प्रत्येक बस्ती के लिए पड़ोसी विद्यालय की सूचना को सार्वजनिक कराया जायेगा। यह कार्यवाही जनपद की प्रत्येक बस्ती के सन्दर्भ में की जायेगी। इस हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारियों को अपने--अपने विकास खण्ड में कार्यवाही कराने हेतु उत्तरदायी बनाया जाय। नगर क्षेत्र का दायित्व नगर शिक्षा अधिकारी और उप बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया जाय।

उक्तवत् कार्यवाही बेसिक शिक्षा के विद्यालयों के संदर्भ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, स्वयं तथा माध्यमिक विद्यालयों के साथ संचालित कक्षा--8 तक की कक्षाओं के संदर्भ में जिला विद्यालय निरीक्षक से विचार--विमर्श के उपरान्त कार्य को मूर्तरूप प्रदान करायेंगें। समस्त सूचनायें संलग्न प्रपत्र--क पर विद्यालय स्तर, विकास खण्ड स्तर, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्तर पर संग्रहीत कर रखी जायेंगी तथा हार्डकापी एवं साफ्ट कापी कम्प्यूटर पर भी सुरक्षित रखी जायें।

उक्त कार्यवाही आवश्यक रूप से **दिनांक 30 सितम्बर, 2012 तक** पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकःउक्तवत्।

भवदीय,

(बासुदेव यादव)
शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

पृ0सं0:आर0टी0ई0/शि0नि0(बे0)/9924-10191 /2012--13 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः--

1-- सचिव, बेसिक शिक्षा, (शिक्षा अनुभाग--5) उ0प्र0 शासन की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

2-- जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि पड़ोसी विद्यालय के चिन्हांकन की कार्यवाही, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अनुसार सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

3-- शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित है कि पड़ोसी विद्यालय के चिन्हांकन की कार्यवाही, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अनुसार सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

4-- राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0 ।

5-- निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एस0सी0ई0आर0टी0) लखनऊ।

6-- अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक/माध्यमिक), शिक्षा निदेशाल, इलाहाबाद ।

7-- सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

8-- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक , समस्त मण्डल को उक्तवत् कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित

9-- समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश ।

(बासुदेव यादव)
शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

27-

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चिन्हित "पड़ोसी विद्यालय" का नाम– सरकारी/परिषदीय/सहायता प्राप्त तथा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त असहायता प्राप्त विद्यालय।

जनपद का नाम .....

विकास क्षेत्र/नगर क्षेत्र का नाम .....

प्रपत्र–क

क0सं0	आबादी–ग्राम (HABITATION) का नाम	चिन्हित "पड़ोसी विद्यालय", सरकारी/परिषदीय/अनुदानित विद्यालय का नाम	चिन्हित "पड़ोसी विद्यालय" केन्द्र सरकार/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त गैर अनुदानित विद्यालय का नाम	चिन्हित पड़ोसी विद्यालय से आबादी–ग्राम की वास्तविक दूरी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

नोटः या0सं0(सी) 95/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 12 अप्रैल, 2012 के क्रम में गैर अनुदानित अल्प संख्यक विद्यालय उक्त से आच्छादित नहीं हैं ।

SMC के कार्य

संख्या– 2223/79–5–2012–29/09 टी0सी0–11

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान,,
लखनऊ ।

शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊः दिनांक 06 जुलाई, 2012

विषयः निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के परिप्रेक्ष्य में विद्यालय संबंधी विभिन्न कार्य विद्यालय प्रबंध समितियों के माध्यम से कराये जाने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान के पत्रांक नि0का0/एसएसए/वि0प्र0सं0/ 1192/2012–13 दिनांक 20, जून, 2012 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत विद्यालय निर्माण कार्य, विद्यालय रख–रखाव, विद्यालय विकास अनुदान, शिक्षक अनुदान छात्र–छात्राओं को निःशुल्क यूनीफार्म एवं अन्य कार्य **" विद्यालय प्रबंध समिति"** के माध्यम से कराये जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

विगत वर्षों में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न विद्यालय निर्माण कार्यों जैसे– विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, शौचालय, चहारदीवारी एवं विद्यालय अनुरक्षण, विद्यालय विकास अनुदान, शिक्षक अनुदान आदि कार्यों के क्रियान्वयन हेतु धनराशि **ग्राम शिक्षा समितियों** के खाते में स्थानान्तरित करते हुए यह सभी कार्य ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था रही है।

उल्लेखनीय है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्या 1739/79–5–2011–29/2009 टी0सी0 दिनांक 28 जून, 2011 द्वारा **"विद्यालय प्रबंध समिति"** का गठन सभी विद्यालयों में किया गया है। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि विद्यालयों के विभिन्न कार्यों को विद्यालय प्रबंध समितियों के माध्यम से क्रियान्वित कराया जायें।

सर्व शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2012–13 के सम्बन्ध में भारत सरकार के प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड की बैठक दिनांक 18–5–2012 के कार्यवृत्त में यह निर्देश दिये गये हैं कि विद्यालय प्रबंध समितियों का गठन कराया जाये एवं उनके खाते खोले जायें ताकि शिक्षक अनुदान, विद्यालय निर्माण कार्य, विद्यालय अनुरक्षण अनुदान, विद्यालय विकास अनुदान, यूनीफार्म एवं इसी प्रकृति के अन्य कार्यों पर विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा ही सर्व शिक्षा अभियान के मापदण्डों/मानकों के अनुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाये।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत निम्नलिखित कार्यों हेतु धनराशि विद्यालय प्रबन्ध समितियों के खाते में हस्तान्तरित की जायेगी और यह कार्य केवल विद्यालय प्रबन्ध समितियों के माध्यम से ही क्रियान्वित किये जायेगें

1. विद्यालयों में समस्त प्रकार के निर्माण कार्य जैसे– विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, चहारदीवारी, शौचालय, ओवर हेड टैंक।
2. विद्यालय भवन की मरम्मत एवं रख–रखाव।
3. विद्यालय विकास अनुदान।
4. शिक्षक अनुदान।
5. विद्यालय में छात्र–छात्राओं के लिए यूनीफार्म उपलब्ध कराना।
6. इस प्रकृति के कोई अन्य कार्य, जो राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा स्वीकृत हों एवं जारी निर्देशों से आच्छादित हों।

मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है **कि विद्यालय निर्माण कार्यों के दायित्व से विद्यालय के प्रधानाध्यापक/अध्यापक को मुक्त रखा जायेगा।** विद्यालय निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में व्यवस्था निम्नवत् की जायेगी:–

- विद्यालय सम्बन्धी समस्त निर्माण कार्य के कार्यान्वयन हेतु विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों में से 04 सदस्यों की उप समिति निम्नवत् गठित की जाती है:
  1. विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष
  2. विद्यालय प्रबन्ध समिति के 02 अभिभावक सदस्य
  3. विद्यालय प्रबन्ध समिति में समिति द्वारा नामित पदेन शासकीय सेवक, जो विद्यालय प्रबन्ध समिति का सदस्य हो (शिक्षकों से भिन्न)।
- किसी विवाद की स्थिति में पदेन शासकीय सेवक के संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव पर जिलाधिकारी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
- उक्त उप समिति के 02 अभिभावक सदस्यों का चयन विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा बैठक/बहुमत के आधार पर किया जायेगा। उप समिति के समस्त सदस्यों के विवरण यथा परिवार रजिस्टर, मतदाता सूची में विवरण को भी प्रधानाध्यापक द्वारा अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखा जायेगा तथा सदस्यों के मोबाईल नम्बर भी अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखे जायेगें।
- विद्यालय निर्माण हेतु गठित उक्त उप समिति के न्यूनतम 03 सदस्यों द्वारा विद्यालय निर्माण सामग्री का क्रय किया जायेगा। क्रय की गयी सामग्री का विवरण अध्यापक द्वारा साईट पंजिका में प्रधानाध्यापक की उपस्थिति में अंकन किया जायेगा।
- निर्माण कार्य एवं अन्य उपरोक्त वर्णित कार्य सर्व शिक्षा अभियान द्वारा स्वीकृत डिजाइन/मैनुअल एवं स्वीकृत इकाई लागत के अनुसार कराया जायेगा।
- बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रधानाध्यापक के माध्यम से विद्यालय प्रबन्ध समिति को डिजाइन/मैनुअल इत्यादि उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा ताकि समिति को आधारभूत नियमों/विशिष्टियों एवं प्राविधानों की जानकारी रहे।

- निर्माण सामग्री की गुणवत्ता 03 सदस्यों द्वारा प्रमाणित की जायेगी, जिसमें से 01 सदस्य पदेन शासकीय सेवक होगा।
- मजदूरों की व्यवस्था विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष या किसी एक अभिभावक सदस्य द्वारा की जायेगी और साईट पंजिका में सामग्री क्रय तथा मजदूरों को किये गये भुगतान का विवरण अंकित किया जायेगा।
- उप समिति के सदस्यों द्वारा निर्माण कार्य/अन्य उपरोक्त वर्णित कार्य में क्रय/मजदूरी/ढुलाई अन्य सम्बन्धित वाउचर पर तिथि सहित प्रश्नगत कार्य को प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। यदि सदस्य किसी बिन्दु से असहमत हैं तो उनके द्वारा तद्नुसार अंकित भी किया जायेगा।
- समस्त निर्माण कार्यो को सम्पत्ति रजिस्टर (Asset Register) में तथा क्रय की गयी वस्तुओं को स्टाक रजिस्टर में अंकित किया जायेगा।
- निर्माण कार्यो की अलग–अलग पत्रावलियां बनायी जायेंगीं जिसमें प्रश्नगत निर्माण के संबंध में कार्यवृत्त, डिजाईन, मैनुअल, प्राप्त सामग्री एवं रसीदों आदि को व्यवस्थित किया जायेगा तथा साईट पंजिका भी साथ में रखी जायेगी। यह अभिलेख प्रधानाध्यापक द्वारा सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जायेगी एवं आवश्यकता पड़ने पर उपसमिति के उपयोगार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
- चूँकि निर्माण कार्य का आडिट भी प्रावधानित है अतः आडिट के समय प्रधानाध्यापक द्वारा इन अभिलेखों को प्रस्तुत करना भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- निर्माण शुरू होने के पूर्व, निर्माण के मध्य एवं निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त प्रधानाध्यापक द्वारा प्रश्नगत भवन की फोटो भी खिंचवाकर साक्ष्य के रूप में रखी जायेगी।

विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा निर्माण कार्य की गुणवत्ता की निगरानी की जायेगी और गुणवत्ता सम्बन्धित शिकायत होने पर लिखित रूप में विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी को स्पष्ट विवरण सहित सूचित किया जायेगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रश्नगत शिकायत के प्राप्त होने पर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा / ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अवर अभियन्ता के साथ प्रश्नगत निर्माण कार्य की जांच करने के उपरांत बेसिक शिक्षा अधिकारी को आख्या प्रस्तुत की जायेगी।

प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होगा कि विद्यालय निर्माण हेतु गठित उप समिति की संस्तुतियों के आधार पर वांछित धनराशि विद्यालय प्रबन्ध समिति के खाते से निकलवाने में अध्यक्ष, विद्यालय प्रबन्ध समिति को सहयोग प्रदान करेंगे ताकि धनराशि का आहरण न होने से निर्माण कार्य में व्यवधान होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

विद्यालय निर्माण कार्यों के अतिरिक्त अन्य उल्लिखित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक अधिकृत होंगे।

विद्यालय प्रबन्ध समिति का खाता राष्ट्रीयकृत बैंक/शिड्यूल्ड बैंक में खोला जायेगा एवं विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जायेगा एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी को अवगत कराना सुनिश्चित किया जायेगा। बिना बेसिक शिक्षा अधिकारी की लिखित अनुमति के खाते को किसी अन्य बैक में स्थानान्तरित करने अथवा नया खाता खोलने की कार्यवाहीं नहीं

की जा सकेगी। प्रत्येक वर्ष माह जुलाई में विद्यालय प्रबन्ध समिति तथा निर्माण हेतु गठित उप समिति के अभिभावक सदस्यों को अद्यतन किया जायेगा और तदनुसार खाता संचालन में, यथावश्यकता, संशोधन बेसिक शिक्षा अधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा। विद्यालय के खाते का विधिवत् रख–रखाव तथा अभिलेख रखने का दायित्व विद्यालय के प्रधानाध्यापक का होगा और ऑडिट के समय समस्त अभिलेख उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्माण कार्यों की प्रगति तथा गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक माह खण्ड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यथा आवश्यकता निर्माण कार्यों की जांच एक टीम, जिसमें दो विभागों के अभियन्ता हों तथा एक शिक्षा विभाग के अधिकारी हों, के द्वारा जांच कराने की कार्यवाही की जायेगी। गंभीर शिकायतों के प्राप्त होने पर जिलाधिकारी द्वारा कार्य पालक मजिस्ट्रेट से जांच कराने का भी का विकल्प होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या 2223 /79–5–2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उ0प्र0।
2. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
3. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ को समुचित अनुश्रवण हेतु।
4. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल।
5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(इन्द्रराज सिंह)
अनुसचिव।

पढ़ाई हेतु समय

W-S-

संख्याः 1275/79–5–2012

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उ0 प्र0, लखनऊ ।

शिक्षा अनुभाग–5

लखनऊ : दिनांक : 26 अप्रैल, 2012

विषयः–**बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई हेतु समय (घंटे) के निर्धारण संबंधी ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–367/79–5–2011, दिनांक 10–2–2011 एवं अपने पत्र संख्या–शि0नि0(बे0)/सं0शि0नि0/768/2012–13, दिनांक 12–4–2012 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 10–2–2011 द्वारा निर्धारित किये गये परिषदीय विद्यालयों के पढ़ाई के समय (घंटे) में परिवर्तन का प्रस्ताव किया गया है ।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई हेतु समय (घंटे) का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है :–

विद्यालय	समय ग्रीष्म ऋतु	समय शीतकाल
प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय	प्रातः 7:00 – 12.00 बजे तक मध्यावकाश 9:30 से 10:00 बजे तक	प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 4:00 बजे तक मध्यावकाश 1:00 बजे से 1:30 बजे तक

3– कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

(सुनील कुमार)
सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, लखनऊ ।
2. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0/साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

26/4/12

(हरेन्द्र वीर सिंह)
विशेष सचिव ।

विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन

संख्याः 1739/79-5-2011-29/2009टी.सी.

प्रेषक,

डी0के0 सिंह
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उ0प्र0, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 28 जून, 2011

विषयः "निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009" की धारा 21 के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन किये जाने संबंधी ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-शि0नि0बे0/डी0ई0-193/2011-12, दिनांक 27-5-2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 'निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' की धारा 21 के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्ध समिति का निम्नवत गठन किया जाता है । इस समिति का गठन गैर अनुदानित विद्यालयों के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय में किया जायेगा, जो निम्नवत् होगी :-

विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन एवं कार्य

(1) विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन उसकी अधिकारिता में गैर अनुदानित विद्यालयों के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय में किया जायेगा एवं प्रत्येक दो वर्ष में इस समिति का पुनर्गठन किया जायेगा।

(2) विद्यालय प्रबन्ध समिति में 15 सदस्य होगें जिनमें से 11 सदस्य बालकों के माता-पिता अथवा संरक्षक होगें:

परन्तु समिति के 50 प्रतिशत सदस्य महिलायें होगी।

(3) विद्यालय प्रबंन्ध समिति के अवशेष 04 सदस्यों में निम्न व्यक्ति होगें अर्थातः-

(क) शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-2(एच) में यथा संन्दर्भ स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित सदस्यों मे से एक सदस्य, का विनिश्चय स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा;

(ख) एक सदस्य सहायक नर्स एवं मिडवाईफ (ए0एन0एम0) में से, लिया जायेगा जिसका विनिश्चय विद्यालय के अध्यापकों द्वारा किया जायेगा;

(ग) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक लेखपाल;

(घ) एक सदस्य विद्यालय का प्रधान अध्यापक अथवा प्रधान अध्यापक की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम अध्यापक

होगा, जो पदेन सदस्य--सचिव होगा।

(4) विद्यालय प्रबन्ध समिति के संरक्षक सदस्यों में एक--एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बालक के माता--पिता अथवा संरक्षक सम्मिलित होंगे।

(5) विद्यालय प्रबन्ध समिति के संरक्षक सदस्यों का चयन खुली बैठक में आम सहमति से किया जायेगा:

सदस्यों के चयन हेतु आम सदस्यों (माता--पिता/संरक्षक) की बैठक प्रधान अध्यापक द्वारा आहूत की जायेगी। विद्यालय प्रबन्ध समिति के संरक्षक/सदस्य का चयन खुली बैठक में आम सहमति से किया जायेगा परन्तु विद्यालय की प्रत्येक कक्षा के न्यूनतम एक बच्चे का माता--पिता/संरक्षक समिति में अवश्य सम्मिलित होगा। सर्वप्रथम प्रत्येक कक्षा के लिए एक माता--पिता/संरक्षक का चयन किया जायेगा। तत्पश्चात् शेष सदस्यों का चयन होगा। आम सहमति न बनने की स्थिति में चयन उन सदस्यों का होगा, जिनके पक्ष में अधिक अभिभावक हों। आवश्यकता पड़ने पर हाथ उठाकर अभिमत प्राप्त किया जा सकता है। विवाद की स्थिति में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी उपस्थित होकर निराकरण करायेंगें।

(6) विद्यालय प्रबन्ध समिति अपने क्रियाकलापों के प्रबन्धन हेतु माता--पिता सदस्यों मे से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी।

(7) विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक माह में न्यूनतम एक बार अवश्य होगी और बैठकों का कार्यवृत्त तथा विनिश्चय उचित प्रकार से अभिलिखित किया जायेगा तथा सार्वजनिक किया जायेगा।

विद्यालय प्रबन्ध समिति के कार्य

(8) विद्यालय प्रबन्ध समिति विद्यालय की कार्य प्रणाली का अनुश्रवण, विद्यालय विकास योजना का निर्माण एवं उसकी संस्तुति तथा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा अन्य श्रोतों से प्राप्त अनुदान के सदुपयोग के अनुश्रवण के साथ ही निम्नलिखित कृत्यों का भी निष्पादन करेगी, जिसके लिए वह अपने सदस्यों में से लघुतर कार्य--समूहों का गठन कर सकती है--

(क) सरल एवं रचनात्मक तरीके से अधिनियम में प्रतिपादित बालक के अधिकार एवं माता--पिता एवं संरक्षक, स्थानीय प्राधिकारी तथा राज्य सरकार के कर्त्तव्यों के विषय में विद्यालय के आसपास की आबादी को अवगत कराना;

(ख) धारा 24 के खण्ड (क) एवं (ङ) तथा धारा 28 के समुचित कार्यान्वयन हेतु यह सुनिश्चित करना कि विद्यालय के अध्यापकगण विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता एवं समयनिष्ठा बनाये रखें, संरक्षकों एवं माता–पिता के साथ नियमित बैठकें करें और बालक की निरन्तर उपस्थिति, सीखने की क्षमता, सीखने में की गयी प्रगति और अन्य कोई प्रासंगिक सूचना के बारे में अवगत करायें और यह कि कोई अध्यापक निजी ट्यूशन या निजी अध्यापन में लिप्त नहीं है;

(ग) अधिनियम की धारा 27 के कार्यान्वयन हेतु यह अनुश्रवण करना कि अध्यापकों पर दसवार्षिकी आपदा जनगणना, आपदा राहत कर्त्तव्यों अथवा यथास्थिति स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधान मंडल अथवा संसद के निर्वाचन सम्बन्धी कर्त्तव्यों के अतिरिक्त अन्य किसी गैर शैक्षणिक कर्त्तव्यों का भार न डाला जाये;

(घ) विद्यालय में आस–पास के सभी बालकों का नामांकन एवं उनकी निरन्तर उपस्थिति सुनिश्चित करना;

(ङ.) अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों एवं मानकों के रखरखाव का अनुश्रवण करना;

(च) बालक के अधिकारों के किसी भी अपसरण से, विशेष रूप से बालकों का मानसिक एवं भौतिक उत्पीड़न, प्रवेश देने से इंकार और धारा 3 (2) के अनुसार निःशुल्क हकदारियों के समयान्तर्गत उपबन्ध को स्थानीय प्राधिकारियों के संज्ञान में लाना;

(छ) जहाँ किसी बालक की आयु छः वर्ष से अधिक है और उसे किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है, वहाँ उसके आयु–संगत अधिगम स्तर हेतु आवश्यकताओं का चिह्नांकन, योजना तैयार करना और विशेष प्रशिक्षण के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना;

(ज) निःशक्तताग्रस्त बालकों का चिह्नांकन एवं नामांकन तथा विद्यार्जन के लिए उनकी सुविधाओं और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना एवं प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने का अनुश्रवण करना;

(झ) विद्यालय में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना एवं उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना;

(ञ) विद्यालय की अभिप्राप्तियों एवं व्यय का अनुश्रवण करना।

(9) विद्यालय प्रबन्ध समिति को अधिनियम के अधीन अपने

कृत्यों के निर्वहन हेतु जो भी धनराशि प्राप्त हो उसे पृथक लेखा में रखा जायेगा एवं उक्त लेखा वार्षिक संपरीक्षा हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) उपनियम (9) में निर्दिष्ट लेखों पर विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्य–सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगें और उनके तैयार होने के एक माह के अन्दर सम्बन्धित प्राधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

विद्यालय विकास योजना की तैयारी

विद्यालय प्रबन्ध समिति वित्तीय वर्ष की समाप्ति से कम से कम तीन माह पूर्व विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी। यह विकास योजना तीन वर्षीय होगी। इन तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष की अलग–अलग उपयोजना भी बनायी जायेगी। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्ययोजना का निर्माण भी होगा। इस विकास योजना में प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षावार नामांकन का प्राकल्लन (इस्टीमेट) किया जायेगा और उसी के आधार पर कक्षा 1–5 तक तथा कक्षा 6–8 तक अतिरिक्त अध्यापक/प्रधानाध्यापकों की आवश्यकता का आंकलन भी किया जायेगा। इसके साथ अतिरिक्त अवसंरचना तथा उपस्कर आदि की भौतिक आवश्यकताओं का भी प्राकल्लन कर तीन वर्षीय योजना में समावेश किया जायेगा।

निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों की आवश्यकताओं के अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकतायें यथा आयु–संगत कक्षा में प्रविष्ट बच्चों के विशेष प्रशिक्षण आदि उत्तरदायित्वों को पूरा करने में वित्तीय आवश्यकताओं का आंकलन कर योजना में समावेश किया जायेगा। विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्य–सचिव द्वारा यह विकास योजना हस्ताक्षरित की जायेगी और सक्षम स्तर तक सम्बन्धित प्राधिकारियों के पास इसे प्रस्तुत किया जायेगा।

उपर्युक्त के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निदेशक शिक्षा (बेसिक) आवश्यक निर्देश प्रसारित करेंगे। समस्त मण्डलीय, जनपदीय और विकासखण्ड से सम्बन्धित शिक्षा अधिकारी विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन 31 जुलाई, 2011 तक प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करायेंगे। तदन्तर वर्णित कार्य एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु एस0सी0ई0आर0टी0/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा इस समिति का प्रशिक्षण 30 सितम्बर तक कैस्केड मोड में बी0आर0सी0 स्तर पर सुनिश्चित कराया जायेगा। इसके पूर्व यह आवश्यक होगा कि रिसोर्स परसन, मास्टर ट्रेनर तथा साहित्य एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा तैयार करा लिया जाए। यह प्रशिक्षण माड्यूल 15 जुलाई तक अवश्य

तैयार करा लिया जाए तथा 15 जून से 15 जुलाई के. मध्य रिर्सोस परसन का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए साथ ही 31 जुलाई तक मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण जनपद के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा। निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 तदनुसार आवश्यक तैयारी कराने की कार्यवाही करेंगें।

2- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

डी0के0 सिंह
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सर्वी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, लखनऊ ।
2. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0 प्र0 ।
4. समस्त सहायक मण्डलीय शिक्षा निदेशक (बेसिक)/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0 प्र0 ।
5. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(इन्द्रराज सिंह)
अनुसचिव ।

दण्ड पर प्रतिबन्ध

संलग्नक - 10

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक),
उत्तर प्रदेश ।

पत्रांकः शि0नि0(बे0)/14790–14881 /2010–11, दिनांक : 19 अगस्त, 2010

विषय :–स्कूलों में शारीरिक दण्ड पर प्रतिबंध ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्रांक 1466/15–7–2007 दिनांक 10 अक्टूबर, 2007 जो आपको पृष्ठांकन संख्या शि.नि.(बे.)/24122–24210/2007–08 दिनांक 17–10–2007 को पृष्ठांकित किया गया है,जिसकी प्रति पुनः सुलभ संदर्भ हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है ।

उक्त के संबंध में आपको समय–समय पर निर्देश दिये जाते रहे हैं कि स्कूलों में बच्चों को किसी भी प्रकार का दण्ड न दिया जाए । इस हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में निम्नवत् व्यवस्था प्रावधानित है :–

"17(1) No child shall be subjected to physical punishment or mental harassment.

(2) Whoever contravenes the provisions sub-section (1) shall be liable to disciplinary action under the service rules applicable to such person."

कृपया उक्त शासनादेश एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश के अन्दर किसी भी बच्चे को दण्डित नहीं किया जा रहा है । विद्यालयों में शिक्षण का ऐसा माहौल बनाया जाए कि बच्चे स्वतंत्रता और सम्मान के साथ भयमुक्त वातावरण में शिक्षा ग्रहण कर सकें ।

उक्त निर्देशों को अपने जनपद के समस्त उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक/प्रधानाध्यापक/बी.आर.सी./एन.

पी.आर.सी. को अवगत कराते हुये प्रभावी अनुपालन एवं अनुश्रवण हेतु निर्देशित कर दिया जाए ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें ।

संलग्नक–उक्तवत्

भवदीय,

19/8/10

(दिनेश चन्द्र कनौजिया),
शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या शि.नि.(बे.)/ [illegible] /14749–14881/2010–11 तद्दिनांकित ।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव,बेसिक शिक्षा,शिक्षा(5) अनुभाग,उ.प्र.शासन, लखनऊ को शासन कार्यालय के पत्रांक शि.नि.(बे.)/14511/2010–11 दिनांक 16 अगस्त 2010–11 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

2– अपर राज्य परियोजना निदेशक, सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, उ.प्र., लखनऊ ।

3– अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), मुख्यालय इलाहाबाद ।

4– सचिव, उ.प्र.बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ।

भवदीय,

19/8/10

(दिनेश चन्द्र कनौजिया),
शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

F.No.2010.doc222

अति महत्वपूर्ण / सच्च प्राथमिकता

संख्या–1466 / 15–7–2007

प्रेषक,

प्रशान्त कुमार मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा / बेसिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

शिक्षा (7) अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 10 अक्टूबर, 2007

विषय:– स्कूलों में शारीरिक दण्ड पर प्रतिबंध।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग,भारत सरकार नईदिल्ली की अध्यक्षा सुश्री शान्ता सिन्हा ने मुख्य सचिव,उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित अपने पत्र संख्या–NCPCR/Edu-1/07130 दिनांक 09 अगस्त,2007 में स्कूलों में विद्यार्थियों को शारीरिक दण्ड दिये जाने पर चिन्ता व्यक्त किया है क्योंकि यह बच्चों एवं उनके अधिकारों के प्रति असंवेदनशीलता तथा हिंसक संस्कृति का द्योतक है।

बच्चे भय के कारण हिंसा का प्रतिरोध किये बिना शान्त रहते हैं। कभी–कभी उनके व्यवहार में घोर अपमानित होने के संकेत परिलक्षित होते हैं परन्तु उसे अनदेखा करके उन पर हिंसा जारी रखी जाती है।

शारीरिक दण्ड में बच्चों को झाड़ना,फटकारना,विद्यालय परिसर में दौड़ाना, घुटनों के बल बैठाना,छड़ी से पीटना,चिकोटी काटना,चाँटा अथवा तमाचा मारना,चपत जमाना, यौन शोषण,प्रताड़ना,क्लास रूम में अकेले बन्द कर देना,बिजली का झटका देना एवं अन्य सभी प्रकार के वे कृत्य जो अपमानित करने,नीचा दिखाने,शारीरिक एवं मानसिक रूप से आघात पहुँचाने और अन्ततः मृत्यु कारित करने वाले हों,सम्मिलित हैं।

यह देखने में आया है कि सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में बच्चों को अनुशासित करने की सामान्य प्रकिया में शारीरिक दण्ड को अपना लिया गया है। सभी प्रकार के शारीरिक दण्ड बच्चों के मूलभूत मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। बच्चों

Madh Shi

के अधिकारों के प्रति एक तमाचा भी उतना ही हानिकारक है जितना एक कष्टकारक चोट। वास्तव में कोई ऐसा वर्गीकरण नहीं है जिससे तथाकथित "लघु कृत्य" को अनदेखा किया जा सके जो मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन की ओर अग्रसर हो। यह विधिक रूप से भी ग्राह्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने पहली दिसम्बर,2000 को बच्चों के शारीरिक दण्ड पर प्रतिबंध लगाया था और निर्देशित किया था कि राज्य सरकारें सुनिश्चित करें–'कि बच्चों को स्कूलों में शारीरिक दण्ड न दिया जाये। वे स्वतंत्रता और सम्मान के साथ भयमुक्त वातावरण में शिक्षा ग्रहण करें।'

बच्चे भी, यदि अधिक नहीं तो,उतने ही मानवीय एवं संवेदनशील हैं जितना कि वयस्क। उन्हें ऐसे माहौल की जरूरत है जिसमें वे सावधानीपूर्वक सुरक्षित रह सकें। बच्चों को उनके वास्तविक स्वरूप में स्वीकारने से अहिंसा के उच्चतम मानक की संस्कृति की शुरूआत होती है। बच्चों को किसी भी प्रकार की चोट पहुँचाये बिना उनसे आत्मीयता का व्यवहार करें। इस प्रकार वयस्क व्यक्ति उन लोगों के प्रति सचेष्ट रहें जो बच्चों का सम्मान नहीं करते।

बच्चों को दण्डित किये जाने से रक्षा करने का दायित्व सभी स्तरों पर अध्यापकों, शिक्षा संबंधी प्रशासन के साथ–साथ प्रबंधक का ही है। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा समस्त राज्यों के शिक्षा विभाग को निम्नवत् निर्देश दिये गये हैं:–

(I) समस्त बच्चों को व्यापक प्रचार–प्रसार के माध्यम से अवगत कराया जाये कि उन्हें शारीरिक दण्ड के विरोध में अपनी बात कहने का अधिकार है। इसे संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में भी लाया जाये।

(II) प्रत्येक स्कूल,जिसमें छात्रावास,जे0जे0होम्स,बाल संरक्षण गृह एवं अन्य सार्वजनिक संस्थाएँ भी सम्मिलित हैं,में एक ऐसा फोरम बनाया जाये जहाँ बच्चे अपनी बात रख सकें। ऐसे संस्थानों को किसी एन0जी0ओ0 की सहायता भी लेनी चाहिए।

(III) प्रत्येक स्कूल में एक शिकायत–पेटिका भी होनी चाहिए जिसमें छात्र शिकायती पत्र,अनाम शिकायती पत्र भी डाल सकें।

(IV) अभिभावक शिक्षक समिति अथवा समान प्रकृति की कोई अन्य समिति नियमित रूप से प्राप्त शिकायतों एवं कृत कार्यवाही की मासिक समीक्षा करें।

(V) अभिभावक शिक्षक समिति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्राप्त शिकायतों पर बिना समय गँवाये तत्परता से कार्यवाही करें ताकि कोई दारूण स्थिति न उत्पन्न हो सके। दूसरे शब्दों में अभिभावक शिक्षक समिति को शिकायत की गम्भीरता पर अपने विवेक का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है।

(VI) अभिभावकों के साथ–साथ बच्चों को भी शारीरिक दण्ड के विरोध में भयमुक्त होकर अपनी आवाज उठाने के लिए अधिकृत किया

-- जायें बगैर इस बात से भयाक्रान्त हुए कि इससे स्कूलों में बच्चों की भागीदारी पर कुप्रभाव पड़ेगा।

(VII) शिक्षा विभाग ब्लाक स्तर,जनपद स्तर एवं राज्य स्तर पर ऐसी प्रक्रिया स्थापित करे जिससे बच्चों क शिकायतों एवं उन पर कृत कार्यवाही की समीक्षा की जा सके।

राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के उक्त दिशा निर्देशों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार व्यापक प्रचार–प्रसार कराने तथा निर्देशों के अनुपालनार्थ अपने स्तर से समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को सम्यक् निर्देश जारी करें और कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें ताकि मा0 आयोग को अवगत कराया जा सके। इन दिशा–निर्देशों को माध्यमिक शिक्षा विभाग की बेवसाइट पर भी डाल दिया जाये ताकि अधिकाधिक लोग लाभान्वित हो सकें और बच्चों के अधिकारों को संरक्षित करने का अभिलषित लक्ष्य प्राप्त करना संभव हो सके।

भवदीय,

(प्रशांत कुमार मिश्र)
मुख्य सचिव।

पृ0संख्या–1466(1)/15–7–2007 तद्दिनांक

1- प्रतिलिपि अध्यक्ष,राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग,103,जीवनदीप बिल्डिंग,संसद मार्ग,नईदिल्ली–110001 को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 09–08–2007 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

2- प्रतिलिपि प्रमुख सचिव,बेसिक शिक्षा,उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(एस0एन0 प्रधान)
संयुक्त सचिव।

पृ0सं0 शि0नि0(बे0)/24122-24210 /2007–08 दिनांक 17–10–2007

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक),उ0प्र0,इलाहाबाद
2. सचिव,बेसिक शिक्षा परिषद,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।
3. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक),उ0प्र0,।
4. समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी,उत्तर प्रदेश।

(शरद चन्द्र श्रीव...)
अपर शिक्षा नि...
कृते शिक्षा निदेशक
उत्तर प्रदेश,...

Madh.Shi.

कैपिटेशन फीस / स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं (10)

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(बेसिक),
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

सेवा में

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक शि0नि0(बे0)/ 10224-10316 /2010-11,दि0 15 जुलाई,2010

विषयः शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-13 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में आपको अवगत कराना है कि बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 दि0 01 अप्रैल,2010 से प्रभावी हो चुका है। उक्त अधिनियम की धारा-13(1) के अनुसार कोई भी स्कूल अथवा व्यक्ति किसी बच्चें के प्रवेश के समय कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और न ही बच्चों, माता-पिता अथवा अभिभावकों का किसी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित करेगा।

अधिनियम की धारा 13(2) के अनुच्छेद (बी) के अनुसार यदि बच्चें का स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाता है तो संबंधित व्यक्ति अथवा संस्था पर ऐसे पहले उल्लंघन पर अधिकतम 25 हजार रू0 अर्थदण्ड लगाया जा सकता है और अगले ऐसे प्रत्येक उल्लंघन पर 50 हजार रू0 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

अस्तु आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ समस्त परिषदीय, राजकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों को निर्देशित कर दें कि वे प्रवेश के समय कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों अथवा अभिभावकों का किसी भी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट न आयोजित करे अन्यथा अधिनियम की उक्त धारा में दिये गये प्रावधानों के अनुसार उन पर कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होगें।

भवदीय,

15/7/10

(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
शिक्षा निदेशक(बेसिक)

पृ0सं0 शि0नि0(बे0)/ 10224-10316 /2010-11तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- विशेष सचिव,शिक्षा-6 अनुभाग,उ0प्र0शासन, लखनऊ।
2- अपर शिक्षा निदेकश(बेसिक)उ0प्र0,इलाहाबाद।
3- सचिव,बेसिक शिक्षा परिषद,उ0प्र0,इलाहाबाद ।
4- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक)उत्तर प्रदेश।
5- श्री लव वर्मा,सदस्य, सचिव, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग,जनपद नई दिल्ली।

15/7/10

(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
शिक्षा निदेशक(बेसिक)
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

RTE का क्रियान्वयन

संलग्नक–1

महत्वपूर्ण / प्राथमिकता

संख्या: 1907 / 79–5–2010–29 / 2009टी.सी.–1

प्रेषक,

डी0के0 सिंह
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक बेसिक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक 29 जून, 2010

विषय: 'बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' **(Right of Children to free and Compulsory Education Act 2009)** के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके अर्द्धशा0पत्र संख्या–डी0ई0 / 2204 / 10–11 दिनांक 25–6–2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा 'बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' प्रख्यापित किया गया है जो दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से प्रभावी हो गया है। उक्त अधिनियम में प्राविधानित व्यवस्था के दृष्टिगत समस्त राजकीय, बेसिक शिक्षा परिषदीय, सहायता प्राप्त जू0 हा0स्कूल तथा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय एवं उससे सम्बद्ध प्राइमरी स्कूलों आदि में कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों से कोई भी शुल्क न लिया जाये। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डी0के0 सिंह)
विशेष सचिव ।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उक्त के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. अपर परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, लखनऊ।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा , उ0प्र0 लखनऊ ।
3. समस्त जिलाधिकारी।
4. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0 प्र0 ।
5. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
6. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(डी0के0 सिंह)
विशेष सचिव ।

R.E letter doc